

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्रीश्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

राज्यस्तरीय समारोह किसान सम्मेलन

मुख्य अतिथि
श्री भजनलाल शर्मा

माननीय मुख्यमंत्री

राशि हस्तान्तरण / वितरण

- 70 लाख किसानों को 700 करोड़ रुपये की किसान सम्मान निधि
3.25 लाख पशुपालकों को 5 रुपये प्रति लीटर की दर से 200 करोड़ रुपये
20,000 गोपालकों को 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण
15,000 किसानों को सोलर पंप हेतु 300 करोड़ रुपये
15,000 किसानों को फव्वारा एवं ड्रिप के लिए 29 करोड़ रुपये
14,200 किसानों को फार्म पोंड, पाइपलाइन इत्यादि के लिए 96 करोड़ रुपये
10,000 छात्राओं को कृषि में अध्ययन हेतु 22 करोड़ रुपये
8,000 सौर ऊर्जा संयंत्रों के संवेदकों को 80 करोड़ रुपये
5,000 वन मित्रों को सुरक्षा किट
150 पैक्स गोदाम निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये
100 गौशालाओं को गौ काष्ठ मशीन

शुभारम्भ

- मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना
- 200 नये बल्क मिल्क कूलर्स
- ऊंट संरक्षण और विकास मिशन
- 1 हजार दूध संकलन केन्द्र

दिनांक - 13 दिसम्बर, 2024

स्थान - कायड़, अजमेर

समय - प्रातः 11:00 बजे

निभाई जिम्मेदारी - हर घर खुशहाली

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

विचार बिन्दु

पराधीन को जिन्दा कहें, तो मुर्दा कौन है। -हितोपदेश

भारत का भूतकाल तथा उसका उज्ज्वल भविष्य द्वूल है, पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की वैधता पर

दे

श में सबसे अधिक चर्चा का विषय एकट 1991 है। हैं इस लेख में धार्मिक स्थल कानून अथवा पूजा स्थल कानून के नाम से सबैचित किया जावेगा। यह कानून सन 1991 में संसद द्वारा पारित किया गया था। उस समय देश के प्राप्त मिनिस्टर स्टर पी.जी. नरसिंह राव थे। इस कानून में यह बलाला गया है कि

दिनांक 15 अगस्त 1947 से पूर्व के बने किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के जाग स्थल में नहीं बदला जावेगा। इस कानून के उल्लंघन करने वालों के लिए फौजदारी मुकदमा लगाया जाता है। जिसमें तीन साल की जेते व जुमानी का प्रावधान है। यह कानून जब तक उस समय बारी मरिज्ज और अयोध्या का प्रक्रम तक तब तक आ उपलब्ध जूँ गई है। डॉ. तोमर द्वारा लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को विश्वभर में स्थापित करने पर लाए नहीं होंगे।

इस अधिनियम के अनुसार देश के धार्मिक स्थलों के धार्मिक चर्चा को बाहर बढ़ाव रखने और उसको सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया है। इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को देश में स्थित धार्मिक स्थलों की विधित को बनाए रखा जाता है।

यह अधिनियम की बोधी पूजा स्थल को किसी अन्य धार्मिक सम्प्रदाय के पूजा स्थल में बदलने पर रोक लगाता है तथा भविष्य में भी कोई साप्रत्यक्ष विवाद न हो इसे रोकता है।

इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो विवाद लोग भूल जुके हैं उसे पुनः जिन्दा न किया जावे और सामाजिक सद्व्यवहार बढ़ावे रखा जावे। किसी ने सब कहा है कि इस अधिनियम का भूल उद्देश्य “प्रतिहासिक धार्मिक टकराव के बनावर संरक्षणात्मका की एक रेखा जांचने का प्रयास है।”

यह कानून जब तक में यह आवश्यक है कि जो कानून को सुप्रीमो के अपेने 9 नवम्बर, 2019 के प्रतिहासिक अयोध्या के विवाद में भी किया गया है। मानवीय न्यायालय ने बर्चेनियनक महाव को पुष्टि की है। 2019 के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारा इतिहास ऐसे क्षुक्तों से भरा हुआ है जिन्हें नैतिक रूप से गलत माना गया है और यह कहा गया है कि समकालीन कानूनी तंत्र को प्राचीन विवादों को निपाटने का साधन नहीं बनाया जाविये।

कानून जात में यह कहा जा रहा है कि सम्प्राण की दुखद घटना का काण्ण सर्वेक्षण का अद्वेष है। यह आपस बहुत ही शरीर गति से पारित हुआ है। निवाची अदालत के लिए फौजदारी सर्वेक्षण के आदेश को अनुसार अदेश दिया है। मूल कानून तो यही है कि जहां पूजा स्थल अधिनियम के तहत उपलब्ध का प्रश्न आता है तो यह धार्मिक चरित्र का हो जाता है और ऐसे सम्प्रति के विवाद सामान्य रूप से दीवानी केस है जो उक्त कानून में अवधार है। जावापी और मुस्रा के ईदगाह के केंद्र में याचिकायें लैवित हैं एवं पिर भी सर्वेक्षण की अनुमति दी है। जानवापी माले में न्यायालय ने कहा है कि मुकामा हिन्दू देवताओं की पूजा को हमसिर को मंदिर में बैलूल करने का तरीका है।

सात प्रावधानों का यह कानून बाधा गया है कि जानकारी का प्रयास है उक्त कानून को पूजा स्थल में नहीं बलेगा। सभी को घटना कोर्ट द्वारा सर्वेक्षण के आदेश के कानून हुई थी। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि याचिका दावर होने के कुछ घटनों के भीतर एक ऐसे वोकेट को कमिस्नर नियुक्त कर दिया और उसे मस्तिक करने का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया जाता है। जिसमें यह भी किया गया है कि यह मानवां पूर्ववर्ती मामलों की जारी है।

दूसरे यह भी ध्यान धारना होगा कि सम्प्राण की शारीरिक विवादों को खालीपाठ है। सर्वेक्षण के आदेश के विवर में याचिका दावर की ओर यह भी किया गया है कि यह मानवां पूर्ववर्ती मामलों की जारी है।

भारत विवादों का देश है। यह धार्मिक स्थलों से जुड़े कई विवाद हैं। जिसमें यह भी किया गया है कि यह अधिकार को निजी स्वतंत्रता के अधार पर पूजा हो जाता है।

कुछ याचिकाओं में चुनौती इस आधार पर भी है कि यह अधिनियम विवाद के न्यायालय में जाकर निवारण पक्ष के अधिकारों को समाप्त करता है। इस प्रकार ऐसे अधिनियम की जारी 2, 3, 4 को सर्वेक्षणितों को सर्वेक्षण के अंतर्गत 14, 21, 25 को चुनौती दी है। सर्वेक्षण की घटना पर कामयानी भी जांच के लिए गठित कर दिया है।

भारत विविधता का देश है। यह धार्मिक स्थलों से जुड़े कई विवाद हैं। साम्प्रादायिक विवाद/दर्शनों ने हांस्यालय के क्षेत्र में याचिका को नियुक्त कर दिया है।

लोगों की समानता, जीने के अधिकार और व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता के आधार पर पूजा हो के अधिकार को हनन करता है।

ताजमहल बदायू कोर्ट में नीलंकंठ महादेव जामा मस्तिक का विवाद आदिक विवाद के कानून के आदेश के कानून की धार्मिक स्थलों को ध्वस्त करिया को नियुक्त कर दिया है।

संभव लिले हो रहे थे कि यह भी किया गया है कि यह मानवां पूर्ववर्ती मामलों की जारी है।

जानवारों ने हिन्दू पक्ष की पूजा को अधिकार दिया। जिस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि अपतित उत्ताई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Lower कोर्ट के आदेश को सही माना विवाद चर रहा है।

20 मई 2022 को शीर्ष न्यायालय ने सुनावन्ह करते हुये कहा था कि पूजा स्थलों की धार्मिक पहचान का निर्धारण करना पूजा स्थलों का जानन द्वारा नियन्त्रित नहीं है। अजमेर में जहां छात्रों में इन्होंने अपनी अत्यधिक अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और अधिक सुरक्षा सर्वेक्षण को नियन्त्रित किया है।

ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि ये विवाद पर सोंजेअर्ज ईस्टर्स चर्डल द्वारा के मौखिक ऑवर्जवेशन के परिणामस्वरूप हुये हैं जैसा ऊपर अधिकार किया है। इसके फलस्वरूप कांग्रेस महासंचिव जयपराम सेशन ने कहा है कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पूजा स्थल अधिनियम 1991 के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाया है।

जानवारों की विवादों को नियन्त्रित करने के लिए विवाद के कानून को प्रयोग करना चाहिये। जानवारों की विवादों को नियन्त्रित करने के लिए विवाद के कानून को प्रयोग करना चाहिये।

जानवारों की विवादों को नियन्त्रित करने के लिए विवाद के कानून को प्रयोग करना चाहिये।

यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि धर्म स्थल के धार्मिक स्थलों की पूजा विवाद है। जिस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि यह अधिकार के न्यायालय में याचिका को नियुक्त कर दिया है।

जानवारों की विवादों को नियन्त्रित करने के लिए विवाद के कानून को प्रयोग करना चाहिये।

यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि धर्म स्थल के धार्मिक स्थलों की पूजा विवाद है। जिस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि यह अधिकार के न्यायालय में याचिका को नियुक्त कर दिया है।

जानवारों की विवादों को नियन्त्रित करने के लिए विवाद के कानून को प्रयोग करना चाहिये।

जानवारों की विवादों को नियन्त्रित करने के लिए विवाद के कानून को प्रयोग करना चाहिये।

जानवारों की विवादों को नियन्त्रित करने के लिए विवाद के कानून को प्रयोग करना चाहिये।

जानवारों की विवादों को नियन्त्रित करने के लिए विवाद के कानून को प्रयोग करना चाहिये।

जानवारों की विवादों को नियन्त्रित करने के लिए विवाद के कानून को प्रयोग करना चाहिये।

जानवारों की विवादों को नियन्त्रित करने के लिए विवाद के कानून को प्रयोग करना चाहिये।

जानवारों की विवादों को नियन्त्रित करने के लिए विवाद के कानून को प्रयोग करना चाहिये।

जानवारों की विवादों को नियन्त्रित करने के लिए विवाद के कानून को प्रयोग करना चाहिये।

जानवारों की विवादों को नियन्त्रित करने के लिए विवाद के कानून को प्रयोग करना चाहिये।

जानवारों की विवादों को नियन्त्रित करने के लिए विवाद के कानून को प्रयोग करना चाहिये।

जानवारों की विवादों को नियन्त्रित करने के लिए विवाद के कानून को प्रयोग करना चाहिये।

जानवारों की विवादों को नियन्त्रित करने के लिए विवाद के कानून को प्रयोग करना चाहिये।

जानवारों की विवादों को नियन्त्रित करने के लिए विवाद के कानून को प्रयोग करना चाहिये।

जानवारों की विवादों को नियन्त्रित करने के लिए विवाद के कानून को प्रयोग करना चाहिये।

जानवारों की विवादों को नियन्त्रित करने के लिए विवाद के कानून को प्रयोग करना चाहिये।

जानवारों की विवादों को नियन्त्रित करने के लिए विवाद के कानून को प्रयोग करना चाहिये।

जानवारों की विवादों को नियन्त्रित करने के लिए विवाद के कानून को प्रयोग करना चाहिये।

ज

नाबालिंग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी अध्यापक को सात साल की सजा

न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि आरोपी अध्यापक ने गुरु-शिष्य के पवित्र संबंध को कलंकित किया है।

अजमेर, (कासं)। पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल की नाबालिंग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी अध्यापक को सात साल की सजा सुनाई है। आरोपी टीचर पर 55 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि आरोपी अध्यापक ने गुरु-शिष्य के पवित्र संबंध को कलंकित किया है।

- पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी टीचर पर 55 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
- अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में 11 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए।

का रूप अपना जाता है, तो उसमें में अधियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए थे। पीड़िता ने अपने बच्चों में बताया कि जब वह स्कूल में थी तो टीचर ने बताया कि गुरुराज को पॉक्सो कोट संस्कृत एक के न्यायालिंग राजनीति को बिजली ने नाबालिंग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी अध्यापक को सात साल की सजा सुनाई है। मामले में अधियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए थे। पीड़िता ने अपने बच्चों में बताया कि जब वह स्कूल में थी तो टीचर ने बताया कि गुरुराज को पॉक्सो कोट संस्कृत परिवर्त नहीं करता था। अंत कठोर दंड से दंडित किया जाए।

सरकारी बच्चील रूपेंद्र परिवार ने बताया कि जिला व्यावर के मसूदा था ने संवेदनशील होता है। शिक्षक जो एक गुरु है, उसे भवान से कोट दिया जाता है। अपने बच्चों को माता-पिता बहुत ही विश्वास के साथ बतायात में पढ़ने के बेचे हैं। ताकि उनका बच्चा अच्छे संस्कार अपने गुरु से सीख सके, ऐसे गुरु शिष्य के पावन संबंध को अधियुक्त न कर्तव्य किया है। माता-पिता के विश्वास को तोड़ा है, यदि ननी

हत्या के पांच साल पुराने मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

झुंझुनूं, (निसं)। एससी/एसटी कोट ने एक पांच साल पुराने मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास तो शेष चार आरोपियों को तीन-तीन माह के कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विशेषज्ञ लाक अभियोजक एडवोकेट ने बिनोद वर्मा के बताया कि उदयपुरवाटी थाने में श्रीमाधेषुपु के जयपुरपुरा निवासी मोतीराम मीणा ने थाने में मामला दर्ज करवाया था कि उसका बटा सांचियां अपने दोस्तों के साथ कोट बांध घूमने आया, जहां पर रामावतार गुर्जर की दुकान थी। सचिवन ने पक्कीड़ी मार्गी तो रामावतार गुर्जर ने उसे ठंडी पक्कीड़ी देनी चाही। ठंडी पक्कीड़ी को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें मारपीट में एक युवक की मौत हो गई थी।

जिसका बाबा रामावतार गुर्जर

में पढ़ रही है। 23 अक्टूबर को उसकी पुरी स्कूल पढ़ने गई तभी स्कूल टीचर ने अपने पास बुलाया और उसके साथ छेड़छाड़ की गई। बेटी घर रोते हुए पहुंची और कहा कि मुझे स्कूल नहीं हुई घटना के बारे में बताया था। पुलिस

ने पॉक्सो कोट सहित साथ प्रतीत किया। आरोपी के खिलाफ

गैरोट तन कोट निवासी मोहनलाल, रत्नलाल, फूलचंद और पिंटु गुर्जर को गिरफ्तार किया।

इसके बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया। मामले में 18 गवाह प्रस्तुत किए गए। वहीं दोनों पक्षों की ओर से कुल 40 साक्षी प्रस्तुत किए। इनमें से मैके के पांच चरमदीद गवाहों के बायाँ को महत्वपूर्ण मानते हुए और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एससी/एसटी कोट की विशेषज्ञ व्यावधी सरिता नैशाद ने पिंटु गुर्जर को हत्या की दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा और 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। वहीं फूलचंद, रत्नलाल, मोहनलाल तथा रामावतार को थी तीन-तीन माह की सजा सुनाई हुई। अर्थदंड से दंडित किया गया।

सचिवन की मौके पर मौत हो गई।

पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों विवाद हो गया था। जिसका बाबा रामावतार गुर्जर अविवादित ने उसके बेटे सचिवन के साथ बेरहमी के साथ प्रतीत किया गया।

जिसका बाबा रामावतार गुर्जर अविवादित ने उसकी बाबा रामावतार गुर्जर को अपने दोस्तों के साथ कोट दिया गया। इसके बाद जिला व्यावर के अधिकारी ने उसकी बाबा रामावतार गुर्जर को अपने दोस्तों के साथ कोट दिया गया।

जिला व्यावर के अधिकारी ने उसकी बाबा रामावतार गुर्जर को अपने दोस्तों के साथ कोट दिया गया।

जिला व्यावर के अधिकारी ने उसकी बाबा रामावतार गुर्जर को अपने दोस्तों के साथ कोट दिया गया।

जिला व्यावर के अधिकारी ने उसकी बाबा रामावतार गुर्जर को अपने दोस्तों के साथ कोट दिया गया।

जिला व्यावर के अधिकारी ने उसकी बाबा रामावतार गुर्जर को अपने दोस्तों के साथ कोट दिया गया।

जिला व्यावर के अधिकारी ने उसकी बाबा रामावतार गुर्जर को अपने दोस्तों के साथ कोट दिया गया।

जिला व्यावर के अधिकारी ने उसकी बाबा रामावतार गुर्जर को अपने दोस्तों के साथ कोट दिया गया।

जिला व्यावर के अधिकारी ने उसकी बाबा रामावतार गुर्जर को अपने दोस्तों के साथ कोट दिया गया।

जिला व्यावर के अधिकारी ने उसकी बाबा रामावतार गुर्जर को अपने दोस्तों के साथ कोट दिया गया।

जिला व्यावर के अधिकारी ने उसकी बाबा रामावतार गुर्जर को अपने दोस्तों के साथ कोट दिया गया।

जिला व्यावर के अधिकारी ने उसकी बाबा रामावतार गुर्जर को अपने दोस्तों के साथ कोट दिया गया।

जिला व्यावर के अधिकारी ने उसकी बाबा रामावतार गुर्जर को अपने दोस्तों के साथ कोट दिया गया।

जिला व्यावर के अधिकारी ने उसकी बाबा रामावतार गुर्जर को अपने दोस्तों के साथ कोट दिया गया।

जिला व्यावर के अधिकारी ने उसकी बाबा रामावतार गुर्जर को अपने दोस्तों के साथ कोट दिया गया।

जिला व्यावर के अधिकारी ने उसकी बाबा रामावतार गुर्जर को अपने दोस्तों के साथ कोट दिया गया।

जिला व्यावर के अधिकारी ने उसकी बाबा रामावतार गुर्जर को अपने दोस्तों के साथ कोट दिया गया।

जिला व्यावर के अधिकारी ने उसकी बाबा रामावतार गुर्जर को अपने दोस्तों के साथ कोट दिया गया।

जिला व्यावर के अधिकारी ने उसकी बाबा रामावतार गुर्जर को अपने दोस्तों के साथ कोट दिया गया।

जिला व्यावर के अधिकारी ने उसकी बाबा रामावतार गुर्जर को अपने दोस्तों के साथ कोट दिया गया।

जिला व्यावर के अधिकारी ने उसकी बाबा रामावतार गुर्जर को अपने दोस्तों के साथ कोट दिया गया।

जिला व्यावर के अधिकारी ने उसकी बाबा रामावतार गुर्जर को अपने दोस्तों के साथ कोट दिया गया।

जिला व्यावर के अधिकारी ने उसकी बाबा रामावतार गुर्जर को अपने दोस्तों के साथ कोट दिया गया।

जिला व्यावर के अधिकारी ने उसकी बाबा रामावतार गुर्जर को अपने दोस्तों के साथ कोट दिया गया।

जिला व्यावर के अधिकारी ने उसकी बाबा रामावतार गुर्जर को अपने दोस्तों के साथ कोट दिया गया।

जिला व्यावर के अधिकारी ने उसकी बाबा रामावतार गुर्जर को अपने दोस्तों के साथ कोट दिया गया।

जिला व्यावर के अधिकारी ने उसकी बाबा रामावतार गुर्जर को अपने दोस्तों के साथ कोट दिया गया।

जिला व्यावर के अधिकारी ने उसकी बाबा रामावतार गुर्जर को अपने दोस्तों के साथ कोट दिया गया।

जिला व्यावर के अधिकारी ने उसकी बाबा रामावतार गुर्जर को अपने दोस्तों के साथ कोट दिया गया।

जिला व्यावर के अधिकारी ने उसकी बाबा रामावतार गुर्जर को अपने दोस्तों के साथ कोट दिया गया।

जिला व्यावर के अधिकारी ने उसकी बाबा रामावतार गुर्जर को अपने दोस्तों के साथ कोट दिया गया।

जिला व्यावर के अधिकारी ने उसकी बाबा रामावतार गुर्जर को अपने दोस्तों के साथ कोट दिया गया।

जिला व्यावर के अधिकारी ने उसकी बाबा रामावतार गुर्जर को अपने दोस्तों के साथ कोट दिया गया।

जिला व्यावर के अधिकारी ने उसकी बाबा रामावतार गुर्जर को अपने दोस्तों के साथ कोट दिया गया।

जिला व्यावर के अधिकारी ने उसकी बाबा रामावतार गुर्जर को अपने दोस्तों के साथ कोट दिया गया।

राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर हुए विविध कार्यक्रम



सचना केन्द्र में जिला विकास पुस्तिका का विमोचन करते अतिथि।

बांसवाड़ा, (निसं)। राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गुरुवार को जिले में विविध कार्यक्रम हुए कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजस्थान से हुआ वहीं मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का जिला स्तरीय समारोह रंगमंच में आयोजित किया गया। साथ ही स्थानीय सूचना केन्द्र में विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन, जिला विकास पुस्तिका का विमोचन एवं प्रेस कॉन्�फ्रेंस हुई।

रंगमंच में हुआ मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम: कार्यक्रमों की श्रृंखला में जोधपुर से विडियो कार्फैसल का माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को उपस्थिति में हुए मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का जिला स्तरीय समारोह रंगमंच में प्रदेश के जननाति क्षेत्रीय विकास, और जिले प्रभारी मंत्री सचिव नकारे शिवप्रसाद, जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजित उद्घाटन के प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी के मुख्य अतिथि में आयोजित किया गया। जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग को और से रोपणमें आयोजित जिला स्तरीय समारोह रंगमंच में उद्घाटन के तहत गुरुवार को जिले के विभिन्न विभागों के 408 युवाओं को नौकरी के लिए नियुक्त पत्र जारी किए गए कार्यक्रम में एसएमएचओ डॉ. जिला विकास पुस्तिका का विमोचन करते अतिथि।

उपमुख्यमंत्री बैरवा ने किया जिला विकास पुस्तिका का विमोचन

प्रतापगढ़ा। राज्य सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को जिला स्तरीय समाजकर्म से जुड़ा हुआ। मचना का संचालन सामाजिक नायर एवं अधिकारी योजना द्वारा रोजगार उत्सव के तहत गुरुवार को जिले के विभिन्न विभागों के 408 युवाओं को नौकरी के लिए नियुक्त पत्र जारी किए गए कार्यक्रम में एसएमएचओ डॉ. जिला विकास पुस्तिका का विमोचन करते अतिथि।

